न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 137／25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025／482

1. श्री कन्ना पिता रामजी गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी रामपुरा पोस्ट आमली तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी पटवार हल्का आमली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

...............विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम पालीवाल , अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956

निर्णय

दिनांक : 15.01.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2151／795, 795 किता 2 कुल रकबा 2.1449 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में भैरुजी देहस्थान के नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि आराजी संख्या 2151／795 में प्रार्थी का हित निहित होकर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के निरन्तर निर्विवाद हिस्से अनुसार स्वामित्व अधिकार आधिपत्य में है।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात 2151／795 वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में भैरुजी देहस्थान के नाम दर्ज है। परन्तु उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक आराजी संख्या 111／10 प्रार्थी के पिता रामा पिता गोदाजी के नाम दर्ज थी जिसे सेटलमेन्ट के वक्त भू–प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा हाल आराजी संख्या 795 सम्पूर्ण भूमि को भैरुजी देहस्थान के नाम दर्ज कर लिया गया। जिस पर मुझ प्रार्थी के पिता श्री रामा पिता गोदा जी ने माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधि. उदयपुर के समक्ष ईन्द्राज दूरुस्ती को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर ने दिनांक 05.04.76 को ईन्द्राज दुरुस्ती का आदेश प्रदान कर मीन आराजी संख्या 795

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested

रकबा पांच बीघा दो बिस्वा भूमि भैरुजी देहस्थान एवं आराजी संख्या 2151/795 रकबा आठ बिघा तीन बिस्वा भूमि को पुनः मुझ प्रार्थी के पिता रामाजी पिता गोदाजी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई, जो नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.1982 को दर्ज कि गई। ईन्द्राज दूरस्ती आदेश पश्चात् नामान्तरण होकर मुझ प्रार्थी के पिता के नाम आराजी संख्या 2151/795 रकबा आठ बिघा तीन बिस्वा भूमि दर्ज हुई परन्तु रामपुरा नया राजस्व ग्राम बनने से उक्त भूमि मे मुझ प्रार्थी के पिता का नाम हटाकर पुनः भैरुजी देहस्थान दर्ज कर लिया गया। जो वर्तमान में भैरुजी देहस्थान के नाम दर्ज चली आ रही है। व मैं प्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर कब्जे काश्त हो उपयोग उपभोग कर रहा हूँ, परन्तु रेवेन्यू रेकर्ड में अलग नाम दर्ज हो जाने से भूमि का विकास करने के लिए ऋण सुविधा लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझ प्रार्थी के पिता रामा पिता गोदाजी का नाम रेवेन्यू रेकर्ड में पुनः अंकित कराया जाना आवश्यक है। इसलिये मुझ प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि मुझ प्रार्थी को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20–07–2025 को पैदा हुआ जब मुझ प्रार्थी ने पटवारी से जमाबन्दी उसमें नाम सुधार हेतु पटवारी से निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया ओर आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20–07–2025 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेवट, खतौनी, जमाबन्दी व रेवेन्यू नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 2151/975 में भैरुजी देहस्थान के बजाय रामा पिता गोदाजी गाडरी का नाम अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम आमली के साबिक खसरा नम्बर 795 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा जो कि जमाबन्दी संवंत 2034 से 2037 में खाता संख्या 342 पर श्री भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड था। राजस्व ग्राम आमली के नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.82 से इन्द्राज दुरस्ती आदेश न्यायालय एसीएम वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 416/74 दिनाक 05.04.76 की पालना में दर्ज कर खसरा नम्बर 795 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 8 बीधा 3 बिस्वा भूमि श्री भेरूजी स्थान देह के बजाय श्री रामा पिता गोदा गाडरी के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। उक्त नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.82 का अमल दरामद जमाबंदी संवत [illegible] के खाता संख्या 346 पर अमल किया गया। राजस्व ग्राम आमली [illegible] टूट कर [illegible] राजस्व ग्राम रामपुरा बना जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी 2043–46 लिखी गई, जिसमें वक्त जमांबदी लिखाई खाता संख्या 56 पर भेरूजी स्थान देह के नाम खसरा नम्बर 2151/795 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा किस्म बीड पर रामा पिता गोदा गाडरी पुजारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी रोटेशन 2045 से 2048 के खाता संख्या 56 पर श्री भेरूजी स्थान देह पुजारी रामा पिता गोदा गाडरी का नामान्तरण संख्या 22 से सयुक्त आदेश जिसमें पुजारी का नाम हटाया जाना था कि पालना में रामा पिता गोदा गाडरी का नाम हटा दिया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 416/74 दिनांक 05.04.76 इन्द्राज दुरस्ती से रामा पिता गोदा गाडरी को खातेदार घोषित किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.82 जमाबंदी में अमल हो चुका था जिसका दाखिला जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के खाता संख्या 342 पर दर्ज है। ग्राम रामपुरा की जमाबंदी संवत् 2043–46 में खातेदार की बजाय पुजारी दर्ज हुआ एवं जमाबंदी रोटेशन ग्राम रामपुरा में नामान्तरण संख्या 22 से नाम विलोपित किये जाने से आज दिनांक तक जमाबंदी में श्री भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज है। रामा पिता गोदा गाडरी की मृत्यु हो चुंकि है जिसके वारिसान श्री भगा, भमरू, कन्ना, मांगीबाई व रूपीबाई मौके पर काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त करते आ रहे हैं।

6. अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजो, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलो, सलंग्न राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन विधि के परिप्रेक्ष्य मे किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 416/74 दिनांक 05.04.76 इन्द्राज दुरस्ती से रामा पिता गोदा गाडरी को खातेदार घोषित किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.82 जमाबंदी में अमल हो चुका था जिसका दाखिला ग्राम जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के खाता संख्या 342 पर दर्ज है। राजस्व ग्राम आमली के साबिक खसरा नम्बर 795 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा जो कि जमाबन्दी संवंत 2034 से 2037 में खाता संख्या 342 पर श्री भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड था। राजस्व ग्राम आमली के नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.82 से इन्द्राज दुरस्ती आदेश न्यायालय एसीएम वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 416/74 दिनाक 05.04.76 की पालना में दर्ज कर खसरा नम्बर 795 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि श्री भेरूजी स्थान देह के बजाय श्री रामा पिता गोदा गाडरी के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। उक्त नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 09.08.82 का अमल दरामद जमाबंदी संवत 2038–41 के खाता संख्या 346 पर अमल किया गया। राजस्व ग्राम आमली से टुट [illegible] राजस्व ग्राम रामपुरा बना जिसकी जमाबंदी 2043–46 लिखी गई, जिसमें वक्त जमांबदी लिखाई खाता संख्या 56 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rjunadia
Date: 2026.02.10 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

भेरूजी स्थान देह के नाम खसरा नम्बर 2151/795 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा किस्म बीड पर रामा पिता गोदा गाडरी पुजारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी रोटेशन 2045 से 2048 के खाता संख्या 56 पर श्री मेरूजी स्थान देह पुजारी रामा पिता गोदा गाडरी का नामान्तरण संख्या 22 से संयुक्त आदेश जिसमें पुजारी का नाम हटाया जाना था कि पालना में रामा पिता गोदा गाडरी का नाम हटा दिया गया। नवीन ग्राम रामपुरा की प्रथम जमाबंदी संवत् 2043–46 में खातेदार की बजाय पुजारी दर्ज हुआ एवं जमाबंदी रोटेशन ग्राम रामपुरा में नामान्तरण संख्या 22 से नाम विलोपित किये जाने से आज दिनांक की जमाबंदी में श्री भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रामा पिता गोदा गाडरी की मृत्यु हो चूंकी है जिसके वारिसान श्री भगा, भमरू, कन्ना, मांगीबाई व रूपीबाई मौके पर काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त करते आ रहे हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में वर्णित भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर के आदेश अनुसार भू–प्रबंध से पूर्व ही रामा पिता गोदा के नाम दर्ज चली आ रही थी। परन्तु भू–प्रबंध में रामा पिता गोदा का नाम हटा देने से न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर द्वारा पुनः रामा पिता गोदा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश से पुनः रामा पिता गोदा के नाम दर्ज कर दी गई। परन्तु राजस्व ग्राम आमली से पृथक कर अन्य राजस्व ग्राम रामपुरा बनाया गया। राजस्व ग्राम रामपुरा की जमाबंदी तैयार करते समय रामा पिता गोदा का नाम पुनः पुजारी की हैसियत दर्ज कर दिया गया। फिर राज्य सरकार के आदेश से पुनः पुजारी के नाम रामा पिता गोदा का नाम हटा दिया गया, जो कि न्यायोचित नही है। क्योंकि न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर के आदेश से रामा पिता गोदा का नाम दर्ज हो चुका था। तो उसे बिना किसी सक्षम आदेश के पुनः भैरूजी स्थान देह का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियो द्वारा नया राजस्व ग्राम रामपुरा की जमाबंदी लिखते समय की गई है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956 का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 2151/795 रकबा 1.3193 हैक्टेयर भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2026.02.10 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर ग्राम रामपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2043–46 से पूर्व की जमाबंदी में दर्ज अनुसार प्रार्थी के पिता रामा पिता गोदा के नाम दर्ज की जावे।

साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु दस्तावेजात प्रस्तुत करता है तो दस्तावेजात की जांच कर नियमो में वर्णित प्रावधानो अनुसार नामान्तकरण पारित करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:30:12 IST
Reason: SelfAttested